DFA – I

सूचना का अधिकार RIGHT TO INFORMATION

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

महाराव भीमसिंह मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत उत्तर पुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रति चाहने हेतु दिशा–निर्देश

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत उत्तर पुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रति चाहने हेतु परीक्षार्थी, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा निर्धारित आवेदन–पत्र के साथ आर.टी.आई. आवेदन शुल्क राशि रू. 10/- **(लोक सूचना अधिकारी, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के नाम देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल ऑर्डर/विश्वविद्यालय बैंक चालान द्वारा)** संलग्न कर आवेदन कर सकते है।
2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत परीक्षार्थी केवल स्वयं की उत्तर पुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रति ही प्राप्त कर सकेगें। किसी भी परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रति, किसी अन्य परीक्षार्थी को प्रदान नहीं की जा सकेगी।
3. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत परीक्षार्थियों द्वारा वांछित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रति, इस विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित परीक्षार्थी का परिणाम जारी किये जाने के उपरान्त, मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के रिकार्ड को संधारित/सुरक्षित रखें जाने हेतु निर्धारित अवधि/समय सीमा तक ही प्रदान की जा सकेगी।
4. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रतियां चाहने वाले परीक्षार्थी द्वारा प्रति पृष्ठ राशि रू. 2/- की दर से शुल्क **(लोक सूचना अधिकारी, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के नाम देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल ऑर्डर/विश्वविद्यालय बैंक चालान द्वारा)** देय होगा।
5. आवेदकों के मार्गदर्शनार्थ लेख है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय स्तर पर परीक्षार्थी द्वारा प्रयुक्त (Used) वांछित उत्तर पुस्तिकाओं के भरें गये पृष्ठों की गणना/शुल्क सम्बन्धी प्रक्रिया में लगने वाले समय के दृष्टिगत, परीक्षार्थी उनके द्वारा भरे गये उत्तर पुस्तिका के कुल पृष्ठों की गणना स्वयं के स्तर से करते हुए, प्रति पृष्ठ राशि रू. 2/- की गणना अनुसार कुल शुल्क (आर.टी.आई. आवेदन शुल्क राशि रू. 10/- के अतिरिक्त) आवेदन–पत्र के साथ संलग्न कर सकते है। **(लोक सूचना अधिकारी, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के नाम देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल ऑर्डर/विश्वविद्यालय बैंक चालान द्वारा)**।
6. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत उत्तर पुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रति, आवेदक द्वारा आवेदन–पत्र में उल्लेखित पते पर ही प्रेषित की जायेगी।